<u>फार्म बी.एम.-9(भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (आयोजनागत) वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
4047 00 800 01 00 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य	105075	80075	80075	80075	25000
4059 80 800 06 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत निर्माण कार्य	71576	46576	46576	46576	25000
5055 00 800 01 00 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-97-बाह्य सहायतित योजनाएं-9701-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय- 24-वृहत निर्माण कार्य 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	30000 30000	30000 30000	30000 30000	30000 30000	00 00
योग रू0 -	236651	186651	186651	186651	50000

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनागत)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
5055 00 190 03 00 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथाअन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण	- 1400000	1586651	186651	186651	1586651
योग -	**1400000**	**1586651**	**186651**	**186651**	**1586651**

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु वर्ष 2015-16 में प्रावधानित पूंजीगत मद में रू0 1050.75 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा रू0 250.00 लाख प्राप्त होना सम्भावित होने के कारण अवशेष धनराशि रू0 800.75 लाख की बचत संभावित है। मौटरयान टैस्टिंग स्टेशन योजना के अन्तर्गत लखनऊ में इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर की स्थापना हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 715.76 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अभी तक रू0 250.00 लाख स्वीकृत किया गया है। अवशेष धनराशि रू0 465.76 लाख की बचत संभावित है। बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा कोष से व्यय योजना हेतु पूंजीगत मद में रू0 600.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है। इस धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में न होने के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम के पत्र दिनॉक 04-03-2016 द्वारा बस स्टेशनों के निर्माण की द्वितीय किस्त हेतु रू0 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता बतायी गयी है, परन्तु अनुदान के अन्तर्गत रू0 1866.51 लाख की उपलब्ध बचत को पुनर्विनियोग कराया जाना प्रस्तावित है

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-आर0ई0-774/ई-9-यू0ओ0-96/दस-2016, दिनॉक 30 मार्च, 2016

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(सीताराम यादव)
उपसचिव
परिवहन विभाग।

(राम सुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या- 26/2016/679/तीस-3-2016-2बी/2014, दिनॉक 30 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- परिवहन अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in